संख्या- 3/70/अडतीस-5-14-27सम/2012

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी,
   बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद, गोण्डा एवं सोनभद्र।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 दिनांकः 19 जनवरी, 2015

विषयः विश्व बैंक एवं भारत सरकार सहायतित "ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना" का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से अभिसरण (Convergence)।

महोदय,

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद, गोण्डा एवं सोनभद्र में विश्व बैंक एवं भारत सरकार सहायतित "ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना विकेन्द्रीकरण एवं जनपद व्यापी दृष्टिकोण के सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसमे पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के चयन, नियोजन, क्रियान्वयन, वित्तीय नियंत्रण, प्रबन्ध व्यवस्था योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव आदि में समुदाय एवं ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भागीदारी एवं जवाब देही के साथ सुनिश्चित की जानी है। साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनायें भी समेकित रुप में क्रियान्वित की जानी है। इस सम्बन्ध में परियोजना के अन्तर्गत स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से निम्नांकित उप-घटकों के अनुसार अभिसरण (Convergence) की कार्यवाही की जानी हैः-

(1) व्यैक्तिक परिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए जिले एवं ग्राम स्तर पर नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रक्रियाओं तथा सप्लाई चैन का सशक्तीकरण व्यैक्तिक परिवारिक शौचालय निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की उपलब्ध निधि से की जायेगी।

(2) संस्थागत शौचालय जैसे-विद्यालयो, आंगनवाडियों तथा सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रमों में Software Component यथा- प्रचार-प्रसार तथा नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परियोजना से सहयोग।

(3) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य हेतु निधि के लिये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से अभिसरण (Convergence) किया जायेगा तथा 300 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतो को रू0 840 प्रतिव्यक्ति अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) के आधार पर चिन्हित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायतित योजना से किया जायेगा।

(4) प्रचार-प्रसार की गतिविधियों के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समुदाय स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग जनित करना, शौचालय का उपयोग, हाथ धुलाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता, पेयजल उचित रख-रखाव के लिए व्यवहार परिवर्तन तथा ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के लिए सहयोग संगठन का सहयोग प्रदान किया जायेगा।

2- विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाले वित्तीयसहयोग के सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधान हैः-

(क) 1189 ग्राम पंचायतों हेतु विस्तृत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना तथा जल सुरक्षा कार्ययोजना बनाने हेतु 30.5 करोड़ रूपये का प्राविधान है।

(ख) 300 से अधिक परिवारो वाली ग्राम पंचायतो को निर्मल भारत अभियान से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त रू0 840 प्रति व्यक्ति के आधार पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु "टाप-अप" के रूप में प्राविधानित है।

3-परियोजना के आधारभूत अवयवों के वित्तीय प्राविधान का चरणबद्ध रूप से विवरण निम्नवत हैः-

अवयव	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल (करोड़)
कुल योग	0.00	26.9	28.7	30.7	32.9	35.2	37.7	192.1

4- परियोजना के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायतों में कुल परिवारों की संख्या के आधार पर निम्नवत वित्तीय प्रावधान किया गया हैः-

- 150 तक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को अधिकतम 7 लाख रुपये की राशि।
- 150 परिवारों से अधिक-300 तकपरिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख रुपये की राशि।
- 300 परिवारों से अधिक-500 तकपरिवारों के लिए 15 लाख रुपये की राशि।
- 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि।

5- उपरोक्त परिपे्रक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक एवं भारत सरकार सहायतित "ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना" एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण (Convergence) से स्वच्छता कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों का क्रियान्वयन चयनित ग्राम पंचायत में की जायेगी। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छता कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा खुले में शौच मुक्त करने हेतु परियोजना अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को वरीयता दिया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय शत्-प्रतिशत आच्छादन हेतु सम्मिलित किया जाना है।

6- परियोजना के अन्तर्गत 300 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतो में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम तकनीकी संस्था के रुप में योजनाओं का DPR, Bid/ Tender Document इत्यादि बनाने, क्रियान्वयन में तकनीकी पर्यवेक्षण का कार्य एवं ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही पंचायतीराज विभाग एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के सहयोग से ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से SLWM योजना के संचालन एवं रख-रखाव के वित्त विनिमय हेतु औपरेशनल एक्सपेंडिचर बैंक खाता (Opex account) खोला जाएगा।

7- SLWM के DPR में चिन्हित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण/क्रियान्वयन हेतु परियोजना के अन्तर्गत धनराशि स्वच्छ भारत मिपन तथा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना से उपलब्ध होगी। गतिविधियों के अनुसार धनराशि के स्रोत का विवरण डीपीआर में अलग-अलग इंगित किया जायेगा। SLWM के DPR बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

8-उक्त कार्य हेतु वितीय प्रवाह व्यवस्था निम्न प्रकार से होगीः-

परियोजना के अन्तर्ग निधि का प्रवाह

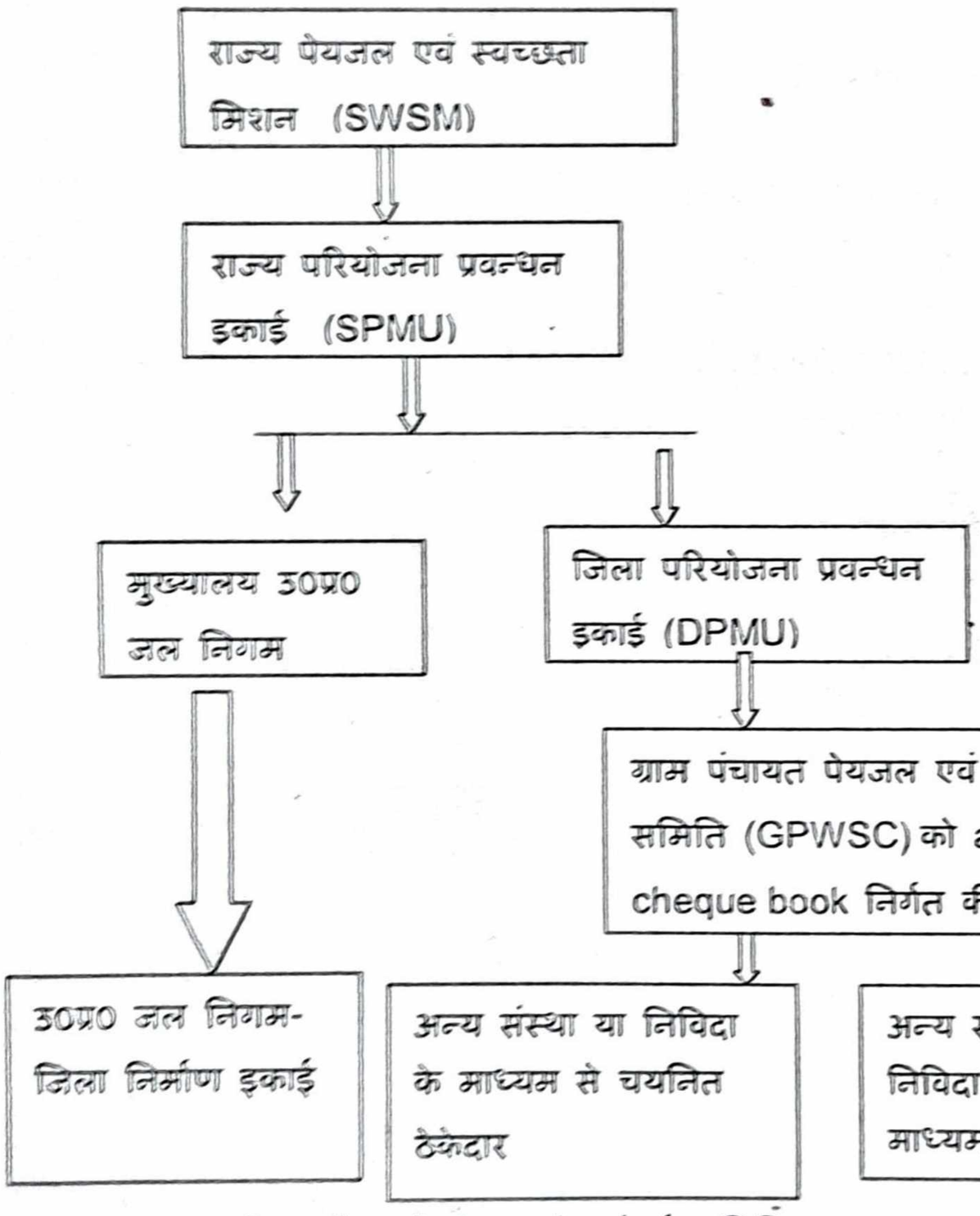

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निधि का प्रवाह

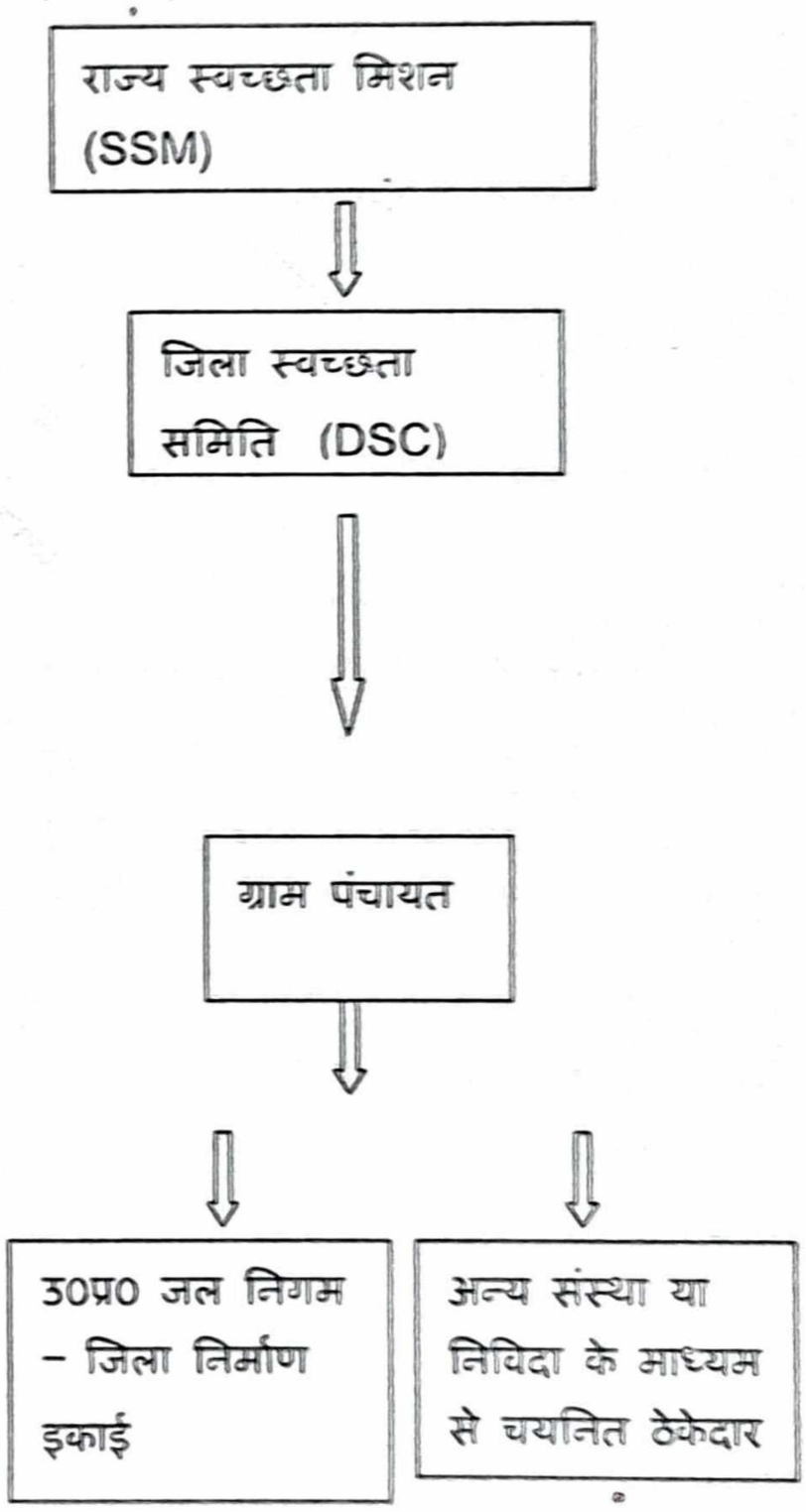

8.1 - विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत निधि का प्रवाह राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) से राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं राज्यपरियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) से जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) एवं/अथवा कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 जल निगमको किया जायेगा।

8.1.1- विश्व बैंक परियोजना से संबंधित जिलों में SLWM योजना का निर्माण यदि उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाता है तो राज्य परियोजना प्रवन्धन इकाई से धनराशि उ0प्र0 जल निगम, राज्य मुख्यालय को सीधे निर्गत की जायेगी।

8.1.2 -यदि GPWSC द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि निर्माण कार्य उ0प्र0 जल निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी या ठेकेदार के माध्यम से कराया जायेगा तो ऐसी स्थिति में SLWM-DPR, Bid/ Tender Document बनाने एवं तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु धनराशि SPMU द्वारा सीधे उ0प्र0 जल निगम, राज्य मुख्यालय को

एवं निर्माण कार्य हेतु धनराशि SPMU द्वारा DPMU क्च्छन् के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी एवं संबंधित GPWSC को DPMU खाते पर जारी at par cheque Book उपलब्ध करायी जायेगी जिसका लेखा-जोखा सम्बन्धित GPWSC एवं DPMU द्वारा रक्षित किया जायेगा।

8.2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निधि राज्य स्वच्छता मिशन से जिला स्वच्छता समिति को तथा जिला स्वच्छता समिति से ग्राम पंचायत को ह्स्तांतरित की जायेगी।

SLWM हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्राप्त धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत के निर्धारित बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी तथा ग्राम पंचायतो में SLWM के कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन से उपलब्ध धनराशि का व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। उ0प्र0 जल निगम द्वारा SLWM के निर्माण कार्य कराये जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उ0प्र0 जल निगम की जनपदीय इकाई को सीधे चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

8.3 - ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट योजना के आय-व्यय का लेखा ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत द्वारा निधि के स्रोत के आधार पर पृथक-पृथक रखा जायेगा। ग्राम पंचायत पर आय-व्यय एवं लेखा का विवरण रखने हेतु परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत हेतुचयनित सहयोग संगठन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

8.4 - ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP) से SLWM योजना हेतु किये गये खर्च का लेखा एवं पुस्तांकन जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई;क्च्डन्द्धद्वारा रखा जायेगा।

9- अतः अनुरोध है कि कृपया परियोजना से सम्बन्धित प्रदेश के समस्त 10 जनपदों में विश्व बैंक एवं भारत सरकार सहायतित "ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना" का क्रियान्वयन चयनित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण (Convergence) एवं उपरोक्तानुसार उल्लिखित वित्तीय व्यवस्था/प्राविधान के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

10- यह शासनादेश पंचायती राज विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 3/70 (1)/अड़तीस-5-2014, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी- बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद, गोण्डा एवं सोनभद्र।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।